

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001

फोन : 0522 - 2235964, 2235965

Website: www.upsmfac.org Email-upmedicalfaculty@upsmfac.org



पत्रांक संख्या- 11163/22

दिनांक 17.11.22

सेवा में,

प्रबन्धक,

सुमित्रा इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल साइंसेस,
प्लॉट नं०-55 सी, नॉलेज पार्क-5, ग्रेटर नोयडा,
गौतमबुद्ध नगर ।

विषय: सुमित्रा इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल साइंसेस, प्लॉट नं०-55 सी, नॉलेज पार्क-5, ग्रेटर नोयडा, गौतमबुद्ध नगर में डिप्लोमा इन लैबोरेटरी टेक्नीशियन प्रशिक्षण प्रारम्भ किये जाने की सम्बद्धता/मान्यता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन-पत्र के सन्दर्भ में अवगत करना है कि उ०प्र० शासन चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-671/71-4099/996/2022 दिनांक 19 अक्टूबर, 2022 द्वारा निर्गत अनापित्त/अनिवार्यता प्रमाण-पत्र में वर्णित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके प्रशिक्षण केन्द्र में डिप्लोमा इन लैबोरेटरी टेक्नीशियन प्रशिक्षण में 30 छात्र प्रति शैक्षिक वर्ष हेतु मान्यता/सम्बद्धता प्रदान की जाती है। यह मान्यता/सम्बद्धता संस्था द्वारा निरीक्षक दल को दर्शाये गये संसाधनों तथा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों के आधार पर दी जा रही है। यदि कार्यालय को किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि आप द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये है अथवा मान्यता हेतु छद्म प्रपत्रों, संसाधनों का सहारा लिया गया है तो नियमानुसार मान्यता/सम्बद्धता समाप्त करते हुए आपके विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

प्रवेश हेतु शैक्षिक अर्हता एवं अन्य शर्तें -

1. प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान अथवा गणित) सहित उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 17 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
3. डिप्लोमा इन लैबोरेटरी टेक्नीशियन प्रशिक्षण में प्रवेश निर्धारित भर्ती क्षमता के 65 प्रतिशत (यथा 19 छात्र) छात्र उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी के माध्यम से तथा 35 प्रतिशत (यथा 11 छात्र) छात्र प्रबन्धकीय कोटे से भरे जायेंगे।
4. यदि किसी कारण से उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया का आयोजन न हो पाये और नियमित बैच न भेजा जा सके तो संस्थान द्वारा केवल प्रबन्धकीय कोटे की निर्धारित भर्ती क्षमता की 35 प्रतिशत सीट अर्थात् केवल 11 सीट प्रति शैक्षिक सत्र की प्रवेशित करें।

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001

फोन : 0522 - 2235964, 2235965

Website: www.upsmfac.org Email-upmedicalfaculty@upsmfac.org



पत्रांक संख्या-.....

दिनांक

5. प्रशिक्षण हेतु फैकल्टी द्वारा भेजे गये छात्रों से अधिकतम रु. 24,000/- (रुपये चौबीस हजार प्रतिवर्ष) या रु0 2,000/- प्रतिमाह प्रशिक्षण शुल्क लिया जा सकता है।
6. प्रबन्धकीय कोटे से प्रवेशित छात्रों से प्रशिक्षण शुल्क के रूप में अधिकतम रु. 60,000/- (रुपये साठ हजार प्रतिवर्ष) या रुपये 5,000/- प्रतिमाह लिया जा सकता है।
7. समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करने से पूर्व विज्ञापन के आलेख (प्रारूप) का इस कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जाये।
8. प्रवेश सत्र प्रतिवर्ष 01 अक्टूबर से प्रारम्भ किया जायेगा तथा प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा निर्धारित प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने के पश्चात् उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा करायी जायेगी। सिलेबस की प्रति संलग्न है।
9. डिप्लोमा इन लैबोरेटरी टेक्नीशियन प्रशिक्षण में भर्ती हेतु चयन सूची प्रकाशित करने से पूर्व चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की प्रतियों सहित चयन सूची का अनुमोदन फैकल्टी से प्राप्त करने के पश्चात् ही प्रशिक्षण में प्रवेश लिया जायेगा। चयन सूची में अभ्यर्थियों का नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि एवं पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।
10. प्रशिक्षण केन्द्र में कार्यरत अध्यापकों के नाम की सूची, शैक्षिक योग्यता, अनुभव की अवधि तथा प्रत्येक अध्यापक द्वारा पढ़ाये जाने वाले विषयों का उल्लेख सहित समस्त विवरण संलग्न प्रोफार्मा में भरकर प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों के चयन करने से पूर्व इस कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें।
11. प्रबन्धकीय कोटे की निर्धारित भर्ती क्षमता से अधिक प्रवेश किसी भी दशा में न किया जाये।
12. सम्बद्धता शुल्क रु. 15,000+18% GST प्रतिवर्ष इस कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
13. प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण आवश्यकतानुसार प्रतिवर्ष कराया जायेगा, निर्धारित मानक पूरे होने के पश्चात् ही मान्यता/सम्बद्धता आगे बढ़ाई जायेगी।
14. आपके प्रशिक्षण केन्द्र में उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा संचालित प्रशिक्षण के अतिरिक्त किसी अन्य संस्थाओं/विश्वविद्यालयों से डिप्लोमा प्रशिक्षण बिना उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी की पूर्वानुमति के नहीं चलाये जायेंगे, यदि आप द्वारा इस शर्त का किसी स्तर पर उल्लंघन किया जाता है तो उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा दी गयी मान्यता/सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ – 226001

फोन : 0522 – 2235964, 2235965

Website:www.upsmfac.org Email-upmedicalfaculty@upsmfac.org



पत्रांक संख्या—.....

दिनांक

15. प्रशिक्षण केन्द्र में बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org से Link कराना सुनिश्चित करें, जिससे प्रतिदिन टीचिंग फैकल्टी तथा छात्र/छात्राओं की उपस्थिति कार्यालय को प्राप्त हो सके।
16. आपके संस्थान में प्रवेशित छात्रों का online Enrollment तभी हो सकेगा जब आप कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org पर उपलब्ध Staff Login Panel पर Teaching Faculty को Enroll कर प्रतिदिन बायोमेट्रिक उपस्थिति भेजना सुनिश्चित करेंगे।
17. प्रत्येक वर्ष में प्रवेशित छात्रों का इनरोलमेन्ट कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org पर दिनांक 30 नवम्बर तक किया जाना अनिवार्य है।
18. कार्यालय की वेबसाइट पर माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 के समकक्ष बोर्ड की सूची दर्शित है उसके अतिरिक्त किसी भी गैर मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण छात्रों का प्रवेश किसी भी दशा में न किया जाये।

भवदीय,

सचिव,

उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी